

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.04()/आरएमएससी/संस्थापन/2017/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17 के अन्तर्गत 10 कन्सलटेन्ट बायो मेडिकल इन्जीनियरों की सेवायें लिये जाने हेतु इस निगम की निविदा दिनांक 03.07.2017 के तहत प्राप्त पात्र व्यक्तियों की पात्रता/शैक्षणिक योग्यता/अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर विचार कर चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

वरीयता सूची


क्र. सं.	नाम / पिता का नाम
1	श्री आकाश रोन / श्री अशोक रोन
2	श्री निशान्त यादव / श्री मनोहर सिंह यादव
3	श्री सन्दीप जोशी / श्री दयानन्द जोशी
4	श्री उदय सिंह जगरवाल / श्री सुख लाल
5	श्री संजय चौहान / श्री कैलाश चन्द्र चौहान
6	श्री जतिन कुमार / श्री अशोक कुमार
7	श्री प्रगट सिंह / श्री महेन्द्र सिंह
8	श्री भुवनेश पारासर / श्री किशोरी लाल शर्मा
9	श्री चैतन्य कुमार / स्व. श्री बी. एल. सैनी
10	श्री रोहित गुप्ता / श्री एम. एल. गुप्ता

रिजर्व सूची

क्र. सं.	नाम / पिता का नाम
1	श्री अगिलाष कुमार सोनी / श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी
2	श्री मनदीप कुमार / श्री किशन कुमार
3	श्री यारिशर खान / श्री तैय्यब खान

चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किसी परिस्थिति में अनुबन्ध नहीं करने/कन्सलटेन्सी की आवश्यकता होने पर रिजर्व सूची में अंकित अभ्यर्थियों को क्रमवार प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। रिजर्व सूची का उपयोग आगामी छः माह तक किया जा सकेगा।


चयनित अभ्यर्थी दिनांक 24.10.2017 तक निगम मुख्यालय में उपस्थित होकर रुपये 500/- के गॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित करें अन्यथा उनके स्थान पर रिजर्व सूची में अंकित अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जा सकेगा।


प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

क्रमांक : प.04()/आरएमएससी/संस्थापन/2017/ 3897

दिनांक : 17.10.2017

प्रतिलिपि एजीएम, आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


विशेषाधिकारी
आरएमएससी